

छ.ग. राज्य की बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति

बी.पी.एल. वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए जो राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत है —

महाविद्यालय का नाम जहाँ छात्र अध्ययनरत है

छात्रवृत्ति का नाम

सत्र

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में श्री/श्रीमती/कुमारी | : | |
| 2 | कक्षा संकाय | : | |
| 3 | प्रवेश तिथि | : | |
| 4 | नियमित / स्वाध्यायी | : | |
| 5 | जाति/वर्ग - अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/सामान्य | : | |
| 6 | मोबाईल नम्बर (व्हाट्सप वाला) | : | |
| 7 | पत्र व्यवहार का पता | : | |
| 8 | स्थायी पता | : | |
| 9 | छत्तीसगढ़ का निवासी हों/नहीं - प्रमाण पत्र संलग्न करें। | | |
| 10 | माता/पिता/पति का नाम (पूरा नाम लिखें) | : | |
| 11 | माता/पिता की वार्षिक आय/क्या माता पिता गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी में आते हैं ?
हों/नहीं, हों तो बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र/कार्ड अनिवार्य रूप से संलग्न करें : | | |
| 12 | पालक का नाम | : | |
| | पता | : | |
| 13 | आवेदक से संबंध | : | |
| 14 | क्या पिछली परीक्षा प्रथम प्रयास से उसी वर्ष उत्तीर्ण किया है : | | |
| 15 | पिछली परीक्षा का विवरण - | | |

कक्षा का नाम	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	संस्था/विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	वर्ष	परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण है तो श्रेणी	रिमाक
1	2	3	4	5	6

16 क्या पिछले वर्ष बी.पी.एल. या अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त की है - हॉ / नहीं
यदि हा तो विवरण दें -

- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| I | छात्रवृत्ति के प्रकार | : | |
| II | योजना का नाम | : | |
| III | पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति मिली थी | : | |
| IV | किस संस्था के माध्यम से प्राप्त हुई थी | : | |
| V | वर्ष | : | |
| VI | प्राप्त राशि | : | |
| VII | रिमार्क | : | |

17 क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने/अध्ययन जारी रखने के इच्छुक है - हॉ / नहीं :

18 आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र लगायें -

- | | |
|------|---|
| I | बी.पी.एल. प्रमाण पत्र (जारी रखने वाली अधिकारी का मुहर होना चाहिए) |
| II | बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति |
| III | निवास प्रमाण पत्र |
| IV | अर्हतादायी परीक्षा की अंकसूची की प्रमाणित प्रति (10 वी., 12 वी. एवं पिछली उत्तीर्ण कक्षा) |
| V | प्रवेश का प्रमाण (प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति) |
| VI | बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति |
| VII | आधार कार्ड की छायाप्रति (आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है) |
| VIII | आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (वर्तमान सत्र में जारी हुआ) |

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अध्ययन जारी रखने के लिए ही होगा।

मैं छात्रवृत्ति नियम से अवगत हूँ आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण सही है। यदि मेरे द्वारा दिया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अंतिम होता है, गलत पाये जाने पर उनका निर्णय मेरे लिए अंतिम और बंधनकारी होगा तथा प्राप्त की गई छात्रवृत्ति की पूरी राशि या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की राशि मांगी जाने पर वापस करूंगा/करूंगी तथा ऐसे न किये जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला अधिकारी यह राशि किसी भी तरीके से जो उचित समझे वसली कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता/पालक के हस्ताक्षर

पूरा नाम/पता

.....
.....

स्थान :

दिनांक :

भाग - (ब)

(संस्था प्रमुख द्वारा भरा जाय, जहां आवेदक अध्ययन कर रहा हो)

1. क्या आवेदक आपके संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया है। हां/नहीं - यदि हां तो बताये

पाठ्यक्रम की अवधि

2. (अ) क्या आवेदक को शिक्षण शुल्क

भुगतान में छूट दी गई है ? - हां/नहीं

(ब) यदि हां तो बतावें किस प्रकार व कितनी छूट दी गई

फीस का विवरण	राशि	आवेदक द्वारा देय राशि	रिमार्क
कुल :-			

3. (अ) क्या आवेदक के प्रवेश शुल्क का भुगतान जलभागीदारी फंड से की गई है ? हां/नहीं

(ब) यदि हां तो उपरोक्त 2 (ब) अनुसार विवरण दिया जावे।

(स) 1. आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जांची गई है एवं वह सही है।

2. आवेदक जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा है वह उच्च शिक्षा, सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत है एवं मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम उद्देश्यानुसार/नियमानुसार भुगतान किया जाकर पूर्ण लेखा जोखा का संचारण कर नियमित रूप से उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को भेजता रहूंगा/रहूंगी। यदि आवेदक संस्था छोड़ दे या अध्ययन जारी न रखे या अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार कर ले तो तत्काल छात्रवृत्ति प्राधिकारी को सूचित किया जावेगा एवं भुगतान बंद कर दिया जायेगा तथा संस्था के पास बची अवितरित अतिरिक्त राशि शासकीय लेखे में वापिस जमा कर दी जायेगी।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

संस्था की मुहर

- नोट :- 1. यह आवेदन 15 अगस्त तक प्राचार्य/संस्था प्रमुख के पास जमा हो जाना चाहिए (सूचना नोटिस बोर्ड में चस्पा करें एवं कक्षाओं में प्रसारित करें)।
2. आवश्यक बजट हेतु 30 सितंबर के पूर्व आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को पूर्ण विवरण के साथ अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए।